

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

॥ आदेश ॥

माननीय पटना उच्च न्यायालय में उप प्राचार्य से प्राचार्य के पद का कार्यकारी प्रभार देने के संबंध में CWJC Case No-8697/2024 अशोक कुमार राम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2026 को निम्नवत् न्यायादेश पारित किया गया है:-

“.....In response thereof, learned counsel for petitioners submit that the petitioners have filed several representations before the authorities, but the matter remains stand still. The petitioners' Association has also filed representation dated 19.01.2024 (annexed as Annexure-P/5 of the writ petition), which was received in the office on 22.01.2024, but on the said representation, no decision has been taken as yet.

5. In the light of the submissions made and without entering into the merit or demerit of the case, this Court hereby directs the Principal Secretary, Labour Resources Department, Government of Bihar, Patna to pass a reasoned and speaking order on the petitioners' representation (annexed as Annexure P/5 of the writ petition), within 90 days from the date of production of a copy of this order”.

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में श्री अशोक कुमार राम, उप प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा एवं अन्य 09 उप प्राचार्यों का अभ्यावेदन दिनांक-23.02.2026 एवं 27.04.2026 प्राप्त है जिसमें आवेदकों द्वारा उप प्राचार्य के पद पर कार्य करने की अवधि एवं उसके पूर्व के पद गुप अनुदेशक के पद पर कार्य करने की अवधि को मिलाकर प्राचार्य के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने का अनुरोध किया गया है।
3. आवेदकों/याचिकाकर्ताओं द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में निम्नलिखित बातें अंकित है:-
 - (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 के प्रावधानों के आलोक में तत्कालीन श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-95, दिनांक-28.12.2023 द्वारा इन्हें गुप अनुदेशक से उप प्राचार्य के पद का (वेतनमान सहित) कार्यकारी प्रभार दिया गया है।
 - (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-7433, दिनांक-05.06.2018 में प्रावधान किया गया है कि वर्तमान धारित पद पर एक वर्ष का अनुभव पुरा होने एवं पूर्व के पद पर कार्यरत अवधि को मिलाकर कालावधि पूरी होने पर उच्चतर पद पर प्रोन्नति दी जा सकती है।
 - (iii) उप प्राचार्य से प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता अथवा विभागीय परीक्षा से विमुक्ति प्रदान की गयी है एवं इनके द्वारा कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात की गई है।

✓

(2)

(iv) आवेदन में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2009 एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा (संशोधित) नियमावली, 2020 में उप प्राचार्य से प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान होने तथा प्राचार्य के अधिकांश पद रिक्त होने का भी उल्लेख किया गया है।

4. CWJC Case No-8697/2024 में माननीय पटना उच्च न्यायालय के दिनांक- 05.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं को दिनांक-14.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विभागीय पत्रांक-414, दिनांक-07.05.2026 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया तथा एक संयुक्त अभ्यावेदन दिनांक- 14.05.2026 को सुनवाई के दौरान समर्पित किया गया।

5. सभी आवेदकों द्वारा सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत किये गए पक्ष एवं समर्पित अभ्यावेदनों में अंकित किये गए बिंदुओं के संदर्भ में विभागीय संकल्पों, परिपत्रों, नियमावली आदि के आलोक में मुख्य तथ्य निम्नवत् हैं:-

(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ताओं को ग्रुप अनुदेशक संवर्ग (अराजपत्रित) से बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मुल कोटि के पद पर तत्कालीन श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-95, दिनांक-28.12.2023 द्वारा उप प्राचार्य (वेतनस्तर-09) (राजपत्रित) के पद का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) दिया गया है।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-7433, दिनांक-05.06.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित निर्धारित न्यूनतम कालावधि का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुरूप वेतन स्तर-09 से वेतन स्तर-11 के लिए न्यूनतम कालावधि 05 वर्ष निर्धारित की गयी है।

(iii) श्री अशोक कुमार राम एवं अन्य, वेतन स्तर-11 में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि 05 वर्ष पूरा नहीं करते हैं। क्योंकि श्री अशोक कुमार राम बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा में उप प्राचार्य के पद पर (राजपत्रित वेतन स्तर-09) दिनांक- 28.12.2023 को अनुदेशक सेवा संवर्ग (अराजपत्रित वेतन स्तर-07) से प्रोन्नति प्राप्त (ex-cadre promotion) कर प्रवेश/नियुक्त हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7433, दिनांक- 05.06.2018 के अनुसार वेतन स्तर-9 से वेतन स्तर-11 पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा (कालावधि) 05 वर्ष है। अतः वर्तमान में इन्हें प्रोन्नति/अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार देय नहीं है।

(iv) समरूप मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर CWJC Case No-8348/2024 श्री मदन राम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में श्री मदन राम एवं अन्य के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए तत्कालीन श्रम संसाधन विभाग के आदेश संख्या-502, दिनांक-10.02.2025 द्वारा सामान्य प्रशासन

✓

(3)

विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-7433, दिनांक-05.06.2018 में निहित प्रावधानों के तहत राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित निर्धारित न्यूनतम कालावधि के अनुरूप वेतन स्तर-09 से वेतन स्तर-11 में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि 05 वर्ष पूरा नहीं कर पाने के कारण श्री मदन राम एवं अन्य का अभ्यावेदन अस्वीकृत किया गया है।

(v) बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्राचार्य एवं समकक्ष के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिये जाने हेतु दिनांक 06.04.2026 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्रोन्नति (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार) के माध्यम से कार्यरत उप प्राचार्यों को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7433, दिनांक- 05.06.2018 के अनुसार वेतन स्तर-9 से वेतन स्तर-11 पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा (कालावधि) 5 वर्ष पूर्ण नहीं करने के कारण प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार) विचारण योग्य नहीं माना गया है।

(vi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.- 13481/2019 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा कुल 32 उप प्राचार्य(सीधी नियुक्ति) को भूतलक्षी प्रभाव से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा की गई। फल:स्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-14, दिनांक-15.05.2024 से पदोन्नति दी गई।

(vii) 32 उप प्राचार्य को भूतलक्षी प्रभाव से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की अधिसूचना दिनांक-15.05.2024 के उपरांत दिनांक-09.07.2024 को बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गई।

(viii) 2015 बैच के प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में Civil Review No-95/2024 आलोक कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया है। उक्त सिविल रिव्यू पिटिशन में CWJC No.- 13481/2019 राजीव रंजन सत्संगी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य में दिनांक- 04.11.2020 को पारित न्यायादेश के क्रियान्वयन पर रोक (Stay) लगाने की मांग की गयी है। उक्त Civil Review No-95/2024 के वादी द्वारा कंडिका-1 में वर्णित मांग निम्नवत् है:-

"That the present application has been filed for reviewing and recalling part of the Judgement and Order dated 04.11.2020 passed by Hon'ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad in CWJC No. 13481/2019 by which this Hon'ble Court has also directed the Promotion Committee of the Department to consider the claim of the writ Petitioners for promotion with retrospective effect, as the said part of the order has the direct effect on the seniority of the Petitioners who were directly recruited as Principals but this fact was suppressed from this Hon'ble Court and the Petitioners were also not impleaded as parties in the said writ petition and hence to that extent this part of the judgment is

✓

(4)

required to be re-considered and recalled and the Petitioners be granted opportunity of hearing before passing any judgment affecting the seniority of the Review Petitioners. The Petitioners also seek indulgence and interference by this Hon'ble Court to direct the Department to stay their hands on the issue of retrospective promotion of the writ petitioners".

(ix) उक्त मामले के संबंध में दायर सिविल रिव्यू पिटिशन 95/2025 में दिनांक-12.07.2024 को पारित आदेश में "Status quo" का निदेश दिया गया है।

(x) सिविल रिव्यू पिटिशन 95/2025 में दिनांक-12.07.2024 को पारित आदेश निम्नवत् है:-

I.A. No.3 of 2024

" This application has been filed seeking stay of the operation of the judgment dated 04.11.2020 passed in CWJC No.13481 of 2019. Learned senior counsel for the review-petitioners would submit that if the judgment of this Court is implemented by giving retrospective promotion to the writ-petitioners, the position of the review-petitioners would be altered to their detriment in terms of their status in the service. It is submitted that presently the notification affecting their seniority has not been published finally. Learned counsel for the State points out from Annexure- 'R/B' dated 15.05.2024 to the third supplementary show cause filed in MJC No.1425 of 2021 that a provisional gradation list has been published presently. Copy of the review petition has been served upon the State and the State has already filed a counter affidavit. At this stage, this Court directs that copy of the review petition be served upon learned counsel for the contempt-petitioners who are respondent nos.8 to 42 in the civil review petition. Learned senior counsel for the review petitioners submits that the copy of the review petition has been served on the learned counsel for the respondent nos. 8 to 42.

Learned counsel for the opposite party nos.8 to 42 prays for two weeks time to file a response to the review petition as well as the application seeking stay of the judgment under review.

As prayed, list both the matters after two weeks i.e. on 26.07.2024 under the same heading.

In the meantime, the **status quo** as on today shall be maintained."

यह मामला वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(xi) उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति/अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जा सकता है अथवा नहीं के बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता बिहार से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। विधिक परामर्श यह प्राप्त हुआ है कि Civil Review No. 95/2024 के निष्पादन की प्रतीक्षा की जानी चाहिये चूँकि इस निर्णय से औपबधिक वरीयता सूची में

(5)

संशोधन की संभावना हो सकती है। वादियों की स्थानापन्न प्रोन्नति दिये जाने की माँग पर निर्णय भी वरीयता सूची के आधार पर ही लिया जा सकता है और जब वरीयता सूची में ही न्याय आदेश/निर्णय के आलोक में संशोधन की संभावना है तो इस औपबंधिक वरीयता सूची जो Under Challenge है के आधार पर वादियों को स्थानापन्न प्रोन्नति देने से विधिक Complication उत्पन्न हो सकती है।

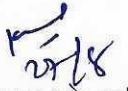
अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिये जाने हेतु दिनांक 06.04.2026 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुसंशा तथा विद्वान महाधिवक्ता बिहार से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में श्री अशोक कुमार राम एवं अन्य 09 आवेदनकर्त्ताओं द्वारा उप प्राचार्य से प्राचार्य के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिए जाने से संबंधित अभ्यावेदन दिनांक-23.02.2026, दिनांक-26.04.2026 एवं दिनांक-14.05.2026 तथा उक्त रिट के Annexure P/5 को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

(कौशल किशोर)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-1 / प्रशि0(न्याय)-15 / 2024.102.1. / यु0रो0 पटना-01, दिनांक-31.08/26
प्रतिलिपि: निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना / श्री अशोक कुमार राम, उप प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा / श्री शिव शंकर कुमार कनौजिया, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खगड़िया / श्रीमती सविता कुमारी, उप प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खगड़िया / श्री संजीव कुमार, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैमूर(भभुआ) / श्री संजीत कुमार, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दलसिंह सराय / श्री ललन राम, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेणीगंज / श्री कुमार आनंद, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल / श्री वैजनाथ प्रजापति, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नरकटियागंज / श्री रंजीत कुमार कुशवाहा, उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमदाहा तथा आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव